रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 507] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 1972/अग्रहायण 9, 1894
No. 507] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 1972/AGRAHAYANA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November 1972

S.O. 729(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), No. S.O. 4045, dated the 24th September, 1969, namely:—

In the said notification, in the Table, under column 2, against item 5 relating to the variety of paddy 'Padma' in column 1, the brackets and words '(Summer)', '(Boro)' and '(Early Summer)' shall be omitted.

[No. 7-10/72-SD.]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1972

एस० ओ० 729(अ).—बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बीज समिति के परामर्श के पश्चात् एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4045 दिनांक 24 दिसम्बर, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की तालिका में कालम 2 के अन्तर्गत, मद 5 के सामने कालम 1 में धान की किस्म 'पदमा' से सम्बन्धित '(ग्रीष्म)', '(बोरो)' और (ग्रीष्म के शुरू में) कोष्ठकों और शब्दों को निकाल दिया जायेगा ।

[संख्या 7-10/72-बी० वि०]

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972